

प्रारूप-6

परियोजना का नाम :- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 93/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल में अमोठा से डोला हाईस्कूल तक लिंक मार्ग का नव निर्माण।
प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक 07.11.2015 को निर्माण खण्ड लो०नि०वि० रामनगर के द्वारा 0.00 किमी० से 3.400 किमी० तक बनाये जाने वाले मार्ग/प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किय गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री राजस्व विभाग की ओर से श्री राजेश अग्रवाल प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री चन्द्रपाल सिंह अमीन, श्री बी० एन० पाण्डे, अपर सहायक अभियन्ता तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में श्री नवीन चन्द्र जोशी ग्राम प्रधान रियाड़ के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया।


संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्ययता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 1550 मी० नाप भूमि से शून्य सिविल भूमि से, 1850 मी० वन पंचायत से शून्य आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 1.3950 हे० नाप भूमि शून्य हे० सिविल भूमि 1.6650 हे० वन पंचायत भूमि शून्य हे० आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 1.6650 हे० भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर/ चुने गये स्थल पर लगभग शून्य वृक्ष प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से शून्य बॉज प्रजाति के प्रभावित होंगे।


इस समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें 2000 मी० नाप भूमि से, शून्य सिविल भूमि से 1900 मी० वन पंचायत से शून्य आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 1.800 हे० नाप भूमि हे० शून्य हे० सिविल भूमि 1.710 हे० वन पंचायत भूमि शून्य हे० आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 1.7100 हे० भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर/चुने गये स्थल पर लगभग शून्य वृक्ष प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से शून्य बाज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होंगे।


चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण आरक्षित वन शून्य कक्षों से गुजरेगा/में स्थित है। इन कक्षों की वर्तमान वन आच्छादन शून्य हे० एवं इन कक्षों में प्रजाति के वन है। प्रभावित होने वाली नाप भूमि 1.3950 पर वृक्ष प्रजाति के वन नहीं हैं एवं प्रभावित होने वाली सिविल तथा नाप भूमि पर शून्य प्रजाति के वन नहीं हैं जिनका वर्तमान वन आच्छादन नहीं है। चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान $29^{\circ} 27' 38.02''$ N $79^{\circ} 17' 22.92''$ E है तथा यह स्थल अमोठा से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल रियाड़ मल्ला है जिसका GPS मान $29^{\circ} 26' 50.25''$ N $79^{\circ} 17' 57.54''$ E है। चुने गये समरेखण/स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान (1) $29^{\circ} 27' 26.86''$ N $79^{\circ} 17' 34.36''$ E (2) $29^{\circ} 27' 28.51''$ N $79^{\circ} 17' 56.15''$ E (3) $29^{\circ} 27' 8.41''$ N $79^{\circ} 18' 18.62''$ E हैं।


चयनित समरेखन में कुल शून्य पौधों को अन्य स्थानान्तरित (Translocate) में किया जाना आवश्यक होगा। चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।


चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं होगा।
 इस समरेखण पर मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु नाप भूमि के
 स्थल उपयुक्त पाये गये जिनका GPS मान (1) $29^{\circ} 27' 26.86''$ N $79^{\circ} 17' 34.36''$ E (2) $29^{\circ} 27' 14.96''$ N
 $79^{\circ} 17' 57.27''$ E (3) $29^{\circ} 26' 52.39''$ N $79^{\circ} 18' 1.95''$ E हैं।



 अमीन



 पटवारी



 वन क्षेत्राधिकारी



 अपर सहायक अभियन्ता



 28/04/17
 नैनीताल.


 28/04/17
 नैनीताल



 उप प्रभागीय वनाधिकारी
 (रामनगर)
 रामनगर वन प्रभाग, रामनगर


 (इं० आर० सी० पाण्डे)
 सहायक अभियन्ता


 उप जिलाधिकारी
 नैनीताल


 (इं० मीना भट्ट)
 अधिशारी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
 रामनगर (नैनीताल)

प्रतिहस्ताक्षर


 जिलाधिकारी
 नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी
 रामनगर वन प्रभाग
 रामनगर


 जिला समाज कल्याण अधिकारी
 नैनीताल

प्रारूप-7

परियोजना का नाम :- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 93/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल में अमोठा से डोला हाईस्कूल तक लिंक मार्ग का नव निर्माण।

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF
(For the forest land to be diverted under FCA)

A Proposal has been received by this office from E.E. C.D.P.W.D Ramnagar for Division under FCR - 1980 of 1.6650 Hectare. of forest land non - forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for construction of Under Honourable Chief Minister Annoucement No 93 / 2015 in constituency Nainital at Amotha to Dola HighSchool in Construction of link road in Nainital District. The site inspection of the land involved in the proposal done by me on dated

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF / PF / un - classed / Protect forest measuring 1.6650 Hectare.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in col. 2 part- 1 is unavoidable and is nearest minimum required for the project .

Whether any rare / endangered / unique species of flora and funa found in the area. If so the detailes there of,- (N. A.)

Whether any protected archeological / heritage site / defense establishment or any other important monuments is loacated in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if required. (N. A)

(a) The user agency has not violated the provision of forest (Conversation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

(b) It has been found that the user agency has violated the forest (Conversation), Act 1980 provisions. A detail report as per 1, 9 of chapter 1, para C of Handbook of forest (Conversation), Act 1980 is attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal

(Signature)

Name

Place :- Ramnagar

Designation :- Divisional Forest Officer
Ramnagar Division, Ramnagar

Date :-

Office Seal

N.B.

X State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

XX out of (a) and (b) thick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2 - 2/200 FC Dated 16.10.2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the inspection report from DCF in required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection from the conservation of forests is required.